



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 3 अक्टूबर, 1981

आश्विन 11, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 2545/सत्रह-वि-1-103-81

लखनऊ, 3 अक्टूबर, 1981

अधिसूचना

विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

## परिभाषाये

2—इस अधिनियम में,

(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(ग) "परिवार" का तात्पर्य किसी मंत्री के संबंध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों;

(घ) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय रेट और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत् शुल्क सहित विद्युत् की व्यवस्था करना भी है;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के उपमंत्री भी हैं।

## वेतन

3—(1) प्रत्येक मंत्री और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक हजार रुपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त छः सौ पचास रुपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस कर के अतिरिक्त होगा जो उस वेतन (जिसके अन्तर्गत परिशिष्टियाँ भी हैं) के संबंध में आयकर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हो और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायगा।

## निवास स्थान

4—(1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये लखनऊ में निवास-स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायगा।

(2) जहाँ किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहाँ वह (क) उपमंत्री की स्थिति में, तीन सौ रुपये प्रति मास, और (ख) किसी अन्य स्थिति में पाँच सौ रुपये प्रति मास की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

## सवारी

5—(1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निर्मित बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिये निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय किसी उप मंत्री को दी गयी मोटर गाड़ी विधिमान्य रूप से दी गयी समझी जायगी।

## यात्रा भत्ता आदि

6—(1) उप मंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायें, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में, (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मंत्री—

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के संबंध में, और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के संबंध में, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिये यात्रा-भत्ता का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7—प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृह का प्रयोग करने का हकदार होगा। सर्किट हाउस आदि का उपयोग

8—प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित प्रसक्तों में निःशुल्क आवास और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायें, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे। चिकित्सा सुविधा

9—जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या नहीं रहता है उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चयक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मंत्री बना या नहीं रह गया। मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना

10—कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या कोई व्यापार या पारिश्रमिक के लिये कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा। कोई वृत्ति करने का निषेध

11—प्रत्येक मंत्री जो, अर्थात्स्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेशान) अधिनियम, 1980 की धारा 4, 9, 18 और अध्याय आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 के अधीन सुविधायें।

12—कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है। वेतन आदि का त्याग

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

13—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) धारा 14 द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नये नियमों द्वारा निरसित न किया जाय।

14—उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन

आज्ञा से,  
गंगा वरुण सिंह,  
सचिव।

No. 2545(2)/XVII-V-1—103-81

Dated Lucknow, October 3, 1981

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mantri (Vetan, Bhatta Aur Prakirna Upabandh) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1981) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 1, 1981 :

**THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981**

[U. P. ACT NO. 14 OF 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*to consolidate and amend the law relating to the salaries, allowances and other facilities to Ministers of the State of Uttar Pradesh.*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

- Short title.** 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.
- Definitions.** 2. In this Act,—
- (a) 'Assembly' means the Uttar Pradesh Legislative Assembly;
- (b) 'Council' means the Uttar Pradesh Legislative Council ;
- (c) 'family' in relation to a Minister means his or her spouse, son, daughter, father, mother, brother or sister residing with and wholly dependent on such Minister ;
- (d) 'maintenance' in relation to a residence includes the payment of local rates and taxes and the provision for water and electricity including electricity duty ;
- (e) 'Minister' means a member of the Council of Ministers of the Government of Uttar Pradesh and includes the Chief Minister, a Minister of State and a Deputy Minister of that State.
- Salary.** 3. (1) Every Minister and Minister of State shall be entitled, throughout the term of his office, to a salary of one thousand rupees per month.
- (2) Every Deputy Minister shall be entitled, throughout the term of his office, to a salary of six hundred and fifty rupees per month.
- (3) The salary referred to in sub-sections (1) and (2) shall be exclusive of the tax payable in respect of such salary (including perquisites) under any law relating to income tax for the time being in force, and such tax shall be borne by the State Government.
- Residence.** 4. (1) Each Minister shall be entitled without payment of any rent to the use throughout the term of his office and for a period of fifteen days thereafter, of a residence at Lucknow which shall be furnished and maintained at public expense at the prescribed scale.
- (2) Where a Minister has not been provided with a residence in accordance with sub-section (1), or does not avail of the benefit of the said sub-section, he shall be entitled to a compensatory allowance at the rate of—
- (a) three hundred rupees per month in the case of Deputy Minister, and
- (b) five hundred rupees per month in any other case.
- Conveyance.** 5. (1) Each Minister shall, throughout the term of his office, be provided with a chauffeur driven motor vehicle which shall be purchased and maintained at public expense in accordance with the rules made in that behalf.
- (2) The terms and conditions for the use of the motor vehicle referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) The motor vehicle provided to a Deputy Minister at any time before the commencement of this Act shall be deemed to have been validly provided.

6. (1) Each Minister other than a Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by land, sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties to travelling allowance and out of pocket expenses for himself and the members of his family at such rates and upon such conditions as may be prescribed.

Travelling allowance etc.

(2) Each Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by land, sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties to travelling and daily allowance at such rates and upon such conditions as may be prescribed.

(3) Each Minister shall be entitled to travelling allowance for himself and the members of his family and for the transport of his and his family's effects—

(a) in respect of the journey to Lucknow from his usual place of residence outside Lucknow for the purposes of assuming office; and

(b) in respect of the journey from Lucknow to his usual place of residence outside Lucknow on relinquishing office.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (3), no travelling allowance shall be payable to a Minister in respect of journeys performed in the motor vehicle referred to in section 5 or any other vehicle belonging to the State Government.

7. Every Minister shall be entitled and be deemed always to be entitled to the use of the circuit house, inspection house or other rest houses maintained by the State Government without payment of any rent or electricity charges during the course of journeys performed in connection with the discharge of his official duties.

Use of circuit houses etc.

8. Every Minister and the members of his family shall be entitled, free of charge, to accommodation in hospitals maintained by the State Government and to medical attendance and treatment in accordance with such principles as may be prescribed.

Medical facility.

9. The date on which any person became or ceased to be a Minister shall be notified in the official *Gazette* and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became, or ceased to be a Minister, on that date.

Notification of appointment and vacancy in the office of a Minister.

10. No Minister shall during the tenure of his office for which he draws his salary and allowance, practise any profession or engage in any trade or undertake for remuneration any employment other than his duties as Minister.

Prohibition against practising any profession etc.

11. Every Minister who is a member of the Assembly or Council, as the case may be, shall continue to enjoy the benefits available to him under sections 4, 9, 18 and Chapter VIII of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

Facilities under U. P. Act 23 of 1980.

12. A Minister may, at any time, relinquish the whole or any part of the salary, allowance or other facilities to which he is entitled by making a written declaration to that effect :

Relinquishment of salary etc.

Provided that any such relinquishment may likewise be cancelled by him at any time with prospective effect.

13. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

Rules making power.

(2) All rules made under the enactment repealed by section 14 and in force on the date immediately preceding the date of commencement of this Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act and they shall continue to be valid and effective until they are repealed by new rules made under sub-section (1).

14. The Uttar Pradesh Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) Act, 1952, is hereby repealed.

Repeal.

By order,  
G. B. SINGH,  
Sachiv.